



UAPA अधिकरण द्वारा PFI पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के नरिणय का समर्थन

प्रलिस के लयि:

UAPA अधिकरण, UAPA के प्रमुख प्रावधान

मेन्स के लयि:

आंतरकि सुरक्षा, उग्रवाद में वृद्धि, सरकार की प्रतिक्रिया के लयि चुनौतयिँ उत्पन्न करने में नजी क्षेत्र की भूमिका

चर्चा में क्यौं?

अपने गठन के पाँच महीने बाद गैरकानूनी गतविधियिँ (रोकथाम) अधिकरण ने भारत के [कृख्यात संगठनौं और इसके सहयोगियिँ पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के नरिणय](#) का समर्थन कयि।

मुद्दे की पृष्ठभूमि:

- सर्तिंबर 2022 में गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना में PFI और इसके सहयोगी संगठनौं को "गैरकानूनी संगठन" घोषति कयि।
- MHA द्वारा जारी अधिसूचना ने [गैरकानूनी गतविधियिँ \(रोकथाम\) अधिनियम \(UAPA\), 1967](#) के तहत पाँच वर्ष के लयि रहिब इंडिया फाउंडेशन (RIF) और कैप्स फ्रंट ऑफ इंडिया सहति PFI तथा उसके सहयोगी संगठनौं पर प्रतिबंध लगा दयि।

UAPA:

परचिय:

- UAPA का उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतविधियिँ में शामिल संगठनौं पर रोक लगाना है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ नरिदेशति गतविधियिँ से नपिटना है। इसे आतंकवाद वरिधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
 - गैरकानूनी गतविधियिँ भारत में कषेत्रीय अखंडता और कषेत्रीय संप्रभुता को बाधति करने के उद्देश्य से कसिी व्यक्तया सगठन द्वारा की गई कसिी भी कार्रवाई को संदर्भति करती हैं।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को पूरण शक्ति प्रदान करता है और अधिकतम दंड के रूप में मृत्युदंड एवं आजीवन कारावास का प्रावधान करता है।

UAPA के प्रमुख प्रावधान:

- अन्य बातौं के अलावा UAPA आतंकवादी गतविधियिँ से नपिटने हेतु वशिष प्रक्रियारैँ प्रदान करता है, केंद्र सरकार कसिी व्यक्त/संगठन को आतंकवादी/आतंकवादी संगठन के रूप में नामति कर सकती है यद:
 - आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है
 - आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,
 - आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
 - अन्यथा आतंकवादी गतविधि में शामिल है।
- अधिनियम के तहत एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुडी संपत्तियिँ को ज़ब्त करने हेतु पुलसि महानदिशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
 - इसके अतरिकित यद जाँच [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(National Investigation Agency- NIA\)](#) के अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति की ज़बती हेतु NIA के महानदिशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
 - यह NIA के अधिकारियिँ (नरिक्षक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियिँ) को उन मामलौं की जाँच करने का अधिकार देता है जो उप अधीक्षक या सहायक पुलसि आयुक्त या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियिँ द्वारा संचालति कयि जाते हैं।

प्रक्रिया का अनुपालन:

- किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की सूचना राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से और उस क्षेत्र में लाउडस्पीकरों के माध्यम से या संगठन के कार्यालयों पर सूचना की प्रतिलिपिकाकर दी जाती है जहाँ संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन करता है।
 - अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष तक वैध रहती है, जो UAPA के तहत न्यायाधिकरण के आदेश के अधीन है।
- जब केंद्र किसी संगठन को गैरकानूनी घोषित करता है, तो केंद्र द्वारा एक न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है ताकि आगे की जाँच कर पुष्टि की जा सके कि निर्णय उचित है या नहीं।
 - केंद्र द्वारा अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक कि न्यायाधिकरण घोषणा की पुष्टि नहीं करता है और आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है।
- सरकार को राजपत्र अधिसूचना जारी करने के 30 दिनों के भीतर अधिसूचना को न्यायाधिकरण को भेजना होगा ताकि प्रतिबंध की पुष्टि हो सके।
 - इसके अतिरिक्त MHA को उन मामलों के साथ न्यायाधिकरण को संदर्भित करना चाहिये जो NIA, [प्रवर्तन नदिशालय](#) और राज्य पुलिस बलों ने देश भर में संगठनों और उसके सदस्यों के खिलाफ दर्ज किये हैं।

UAPA न्यायाधिकरण:

- UAPA में सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है ताकि इसके प्रतिबंधों को दीर्घकालिक कानूनी वैधता मलि सके।
 - इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- यह प्राधिकरण संबंधित संगठन से अनुरोध करता है कि वह अधिसूचना प्राप्त करने की तारीख (जिस तारीख पर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी) के 30 दिनों के भीतर अपने अस्तित्व की नरंतरता के लिये औचित्य प्रदान करे।
 - दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्राधिकरण 6 महीने के भीतर यह तय करने के लिये जाँच कर सकता है कि क्या संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिये पर्याप्त सबूत हैं अथवा नहीं।

UAPA की आलोचना:

- टोस और प्रकर्यात्मक प्रकर्या का अभाव: UAPA की धारा 35 सरकार को किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देती है। सरकार ऐसा केवल बड़े संदेह के आधार पर और बिना किसी प्रकर्या के कर सकती है।
- आतंकवादी गतिविधियों में संदेह वाले लोगों को हरिसत में लेने और गरिफ्तार करने का राज्य का असपष्ट अधिकार इसे संवधान के [अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई स्वतंत्रता](#) पर अधिक नयंत्रण देता है।
- असहमतिके अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध: [असहमतिके अधिकार](#) भाषण और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसलिये अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित परिस्थितिको छोड़कर किसी भी स्थिति में इसे कम नहीं किये जा सकता है।
 - वर्ष 2019 में UAPA में संशोधन ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने की आड़ में सत्ताधारी सरकार को असहमतिके अधिकार पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी, जो एक वकिसशील [लोकतांत्रिक समाज के लिये हानिकारक](#) है।
- समय का अपव्यय: लगभग 43% मामलों में चार्जशीट दायर करने में एक या दो वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। इससे न्याय मलिन में देरी होती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में वधिविरुद्ध क्रियाकलाप (नविवरण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.) 1967 और एन.आई.ए. अधिनियम में संशोधन द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा वधिविरुद्ध क्रियाकलाप (नविवरण) अधिनियम का वरिोध करने के कारणों पर वसितार से चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परविश के संदर्भ में परविरतनों का विश्लेषण कीजिये। (2019)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)